न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
150 / 2020	21.10.2020	11.01.2023

//उनवान//

1 शेरसिंह पुत्र रामसिंह
2 राकेश पुत्र रामसिंह
3 राजकुमार पुत्र रामसिंह
4 श्रीयादेवी बेवा रामसिंह जाति जाट निवासीयान काली पहाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
5 सुमन पुत्री रामसिंह पत्नि दिनेश जाति जाट हाल निवासी हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज0।

:– वादीगण

बनाम

1 श्रीराम पुत्र भूरा राम
2 अनिल कुमार पुत्र महासिंह पौत्र भूराराम
3 ब्रह्मादेवी बेवा महासिंह जाति जाट निवासी काली पहाडी तहसील मुण्डावर जिला, राज0।
4 मनोज पुत्री महासिंह पत्नि दिनेश जाति जाट निवासी हाल घीकाका तहसील कोटकासिम जिला, अलवर, राज0।
5 बीना पुत्री महासिंह पत्नि कृष्णकुमार जाति जाट निवासी हाल घीकाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज0।
6 चन्द्रो पुत्री भूराराम पत्नि हीरालाल जाति जाट निवासी झाड़का तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज0।
7 मूर्ती पुत्री भूराराम पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी पतलिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज0।
8 कमला पुत्री भूराराम पत्नि फतेहसिंह जाति जाट निवासी झाड़का तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज0।
9 बिमला पुत्री भूराराम पत्नि अजीतसिंह जाति जाट निवासी पतलिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज0।
10 नन्दकोर बेवा भूराराम जाति जाट निवासी काली पहाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

(हजफ)

11 बलजीत पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील बावल जिला रेवाडी, हरि0।
12 ज्ञानचन्द पुत्र बनवारी जाति गुर्जर निवासी नांगलरानिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
13 राजस्थान स्टेट जरिये लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0 काश्0 अधि0।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपस्थितिः– श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा – वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक– 11.01.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि साबिक आराजी ख0नं0 353/0.25, 354/0.39, 355/0.32, 356/0.24 है0 वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। जिसके खातेदार काश्तकार भूराराम पुत्र बांकाराम उर्फ बांकलाराम था जिसका देहांत दिनांक 12.11.1995 को हो गया है जिसके वारिसान का सजरा पेश है एवं मुताबिक सजरा उक्त विवादित आराजीयात के वादीगण 1/8 भाग के व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 भाग, 2 ल0 5 का 1/8 भाग एवं प्रतिवादी सं0 6 ल0 10 समस्त 1/8, 1/8 भाग के खातेदार काश्तकार है। भूराराम अपने जीवनकाल में तन्हा काबिज होकर खसरा नम्बर 353, 354, 355, 356 काश्त करते रहे व भूराराम की फौतगी पर प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ल0 5 के पति/पिता महासिंह ने प्रतिवादी सं0 13 के अधिनस्थ कर्मचारियों से मिलकर दोनों ने तन्हा अपने नाम उक्त आराजी में से ख0नं0 353, 354, 355 का इन्तकाल सं0 312 दिनांक 14.11.1996 को अपने नाम ग्राम पंचायत सोरखाकलां से साज–बाज होकर स्वीकार करा लिया। दौराने उक्त इन्तकाल वादीगण के पिता वो पति रामसिंह बसिलसिले रोजगार बाहर रहने के कारण पीछे से उक्त इन्तकाल स्वीकार करा लिया जो इन्तकाल खिलाफ कानून, बिना किसी वारीसान की जांच किए वो बिला कब्जा की जांच किये स्वीकार कराया गया है। उक्त इन्तकाल सं0 312 वादीगण के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है जिसके मुताबिक प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2ल0 5 के पिता/पति महासिंह ने तन्हा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अमल करा लिया जो गलत अमल हकूक वादीगण के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है हजफ किया जाकर मुताबिक सजरा वादीगण को 1/8 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। ठीक इसी प्रकार ख0नं0 356 का काबिज खातेदार काश्तकार भी भूराराम पुत्र बांकलाराम जाट था जिसकी मृत्यु उपरांत उक्त ख0नं0 हेतु विरासत का इन्तकाल सं0 602 दिनांक 20.07.2009 को श्रीराम, रामसिंह पुत्रान, चन्द्रो, मूर्ति, कमला, बिमला पुत्रीयान, नन्दकोर बेवा भूराराम 7/8 हिस्सा व अनिल कुमार पुत्र, मनोज, बीना पुत्रीयान व ब्रह्मा बेवा महासिंह संभाग 1/8 हिस्सा की हक में दर्ज व स्वीकार हुआ है जो मुताबिक सजरा भूराराम के वारिसान के हक में दर्ज व स्वीकार हुआ है एवं उक्त इन्तकाल सही चढ़ा है हिस्से भी सही दर्ज हुए है। वादीगण के पति/पिता रामसिंह की मृत्यु 21.11.2010 को हो चुकी है। रामसिंह मृतक का विरासत का इन्तकाल सं0 654 दिनांक 23.12.2010 को वादीगण के नाम स्वीकार हुआ है जो सही स्वीकार हुआ है। इन्तकालात की प्रमाणित प्रतियां संलग्न पेश है। ख0नं0 353, 354, 355 के बाबत का इन्तकाल सं0 312 जो मृतक भूराराम की विरासत का प्रतिवादी सं0 1 ने 1/2 भाग व प्रतिवादी सं0 2 ल0 5 के पति/पिता महासिंह ने 1/2 भाग का गलत चढ़वाया वो बाद में तन्हा अपने नाम का 1/2, 1/2 भाग का गलत अमल करा लिया है व महासिंह की मृत्यु के बाद महासिंह की विरासत का इन्तकाल उसके वारीसान पुत्र, पुत्रियान वो पत्नि प्रतिवादी सं0 2 ल0 5 के हक में स्वीकार कराकर राजस्व रिकॉर्ड में गलत अमल करा दिया तथा बाद में प्रतिवादी सं0 2 अनिल कुमार ने अपनी माता व बहनों प्रतिवादी सं0 3 ल0 5 से अपने नाम रिलीज डीड कराकर अपने हिस्से का तन्हा प्रतिवादी सं0 2 ने अपने नाम गलत अमल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2065 ल0 2068 में खसरा नम्बर 353, 354, 355 बाबत करा लिया जो उक्त गलत अमल वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है तथा हजफ किये जाने योगय है। इस प्रकार गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर उक्त आराजीयात में वादीगण को 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 श्रीराम ने उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 353/0.25, 354/0.39, 355/0.32 है0 वो दीगर आराजीयात का 1/2 भाग खिलाफ कानून बिला कब्जा, गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी सं0 11 बलबीरसिंह को दिनांक 29.11.2012 को बैयनामा पंजीकृत करा दिया एवं इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 2 अनील कुमार ने शेष0 विवादित आराजी का 1/2 भाग खिलाफ कानून बिला कब्जा गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी सं0 12 ज्ञानचन्द को दिनांक 30.11.2012 को बैयनामा तहरीर वो तकमील कराकर दिनांक

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

30.11.2012 को ही पंजीबद्ध करा दिया जो बैयनामे हर दो वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है नाकाबिल पाबंदी है बातिल वो बेअसर करार दिया जावे तथा फर्जी वो नूमाईशी बैयनामों के आधार पर प्रतिवादी सं0 11 व 12 ने गलत इन्द्राज आराजी खसरा नम्बर 353, 354, 355 में 1/2, 1/2 में कराया है वो गलत इन्द्राज हकूक वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है हजफ किया जाकर वादीगण को 1/8 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। मुताबिक सजरा मृतक भूराराम के वारीसान है व जायज वो विधिक उत्तराधिकारी है तथा ग्राम पंचायत गोपीपुरा द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 17.11.2012 से भूराराम के वारीसान वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 10 को सही होना बताया है। विवादित आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ल0 10 सामलात में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व सामलात आराजी है। पहले हम वादीगण का पति वो पिता रामसिंह काश्त करता था व उनकी मृंत्यु के बाद हम वादीगण 1/8 हिस्से पर मौके पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। दिनांक 04.12.2012 को प्रतिवादीगण ने सामलात कब्जाकाश्त में मजाहमत पैदा की व बेदखल करने की धमकी दी। अब भविष्य में सामलात में काश्त करना संभव नहीं है अतः वादीगण अपने हिस्से की आराजी का तकासमा बाई मिट्स टू बाउण्ड कराने के अधिकारी है व अपना खाता अलग कराने के अधिकारी है। वादीगण दिनांक 30.11.2012 को हल्का पटवारी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए नकल हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2065 ल0 2068 प्राप्त की तो सर्वप्रथम गलत इन्द्राज की जानकारी हुई इसके बाद इन्तकालात वो जमाबंदी व बैयनामेजात आदि की नकले दिनांक 04.12.2012 को प्राप्त की व प्रतिवादीगण को गलत इन्द्राज दुरुस्त कराने के लिए कहा तो साफ इन्कार हो गए व वादीगण को जबरन बेदखल करने, दीगर जगह बेचान करने की एलानिया धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अपने मंसूबों में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजहद हानि होगी सिजकी कीमत रुपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। चूंकि हकहकूक वादीगण कानून द्वारा रक्षित है अतः अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दावा इश्तकरारहक, तकासमा मय हु0ई0 दवामी पेश करना लाजिम आया आदि-आदि अंकित करते हुए वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे व घोषित किया जावे हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 श्रीराम व प्रतिवादी सं0 2 अनिल कुमार के नाम 1/2 हिस्सा के हो रहे इन्द्राज को हजफ किया जाकर वादीगण को विवादित आराजीयात के 1/8 भाग के संभाग के खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे तथा डिक्री तकासमा बेहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर विवादित आराजीयात का वादीगण के हक में 1/8 हिस्सा संभाग का अलग खाता व लगान कायम किया जावे व करार दिया जावे कि आराज़ी खसरा नम्बर 353/0.25, 354/0.39, 355/0.32 है0 वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी सं0 1 श्रीराम ने प्रतिवादी सं0 11 बलजीतसिंह के हक में बैयनामा दिनांक 29.11.2012 में पंजीबद्ध कराए गए बैयनामे को वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर, नाकाबिल पाबंदी होने पर नल एंड वाईड करार दिया जावे व उक्त बैयनामा के हक में उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर जो गलत अमल आया है उसे वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध बातिल व बेअसर स्वीकार कर हजफ किया जाकर वादीगण को 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे ठीक इसी प्रकार उक्तानुसार आ0ख0नं0 353/0.25, 354/0.39, 355/0.32 है0 वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर का प्रतिवादी सं0 2 अनिल कुमार द्वारा प्रतिवादी सं0 12 ज्ञानचन्द के हक में दिनांक 30.11.2012 बैयनामा दिनांक 30.11.2012 में पंजीबद्ध कराए गए बैयनामे को वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर, नाकाबिल पाबंदी होने पर नल एंड वाईड करार दिया जावे व उक्त बैयनामा के हक में उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर जो गलत अमल आया है उसे वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध बातिल व बेअसर स्वीकार कर हजफ किया जाकर वादीगण को 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये हु0ई0 दवामी से पाबंद किए जाने का निवेदन रहा। दौराने सुनवाई वादीगण ने जरिये अधिवक्ता उक्त प्रस्तुत वाद में तकासमा कराये जाने के बाबत के अनुतोष नहीं चाहे जाने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई जो बाद विधिवत सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार की गई है।

यक कलक्टर
पुर (अलवर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी सं0 10 की फौतगी की स्थिति में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होकर बाद विधिवत सुनवाई स्वीकार होने पर प्रतिवादीया सं0 10 का नाम हजफ किया गया तथा प्रतिवादी सं0 1 एवं 6 ल0 9 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दावे/इकबाल पेश हुए। मुताबिक प्रस्तुत जवाब दावा प्रतिवादी सं0 1 का सारतः रहा कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर में स्थित है तथा विवादित आराजी का खातेदार भूराराम पुत्र बांकाराम उर्फ बांकला था जिसका देहांत दिनांक 12.11.1995 में हो गया व वारीसान का सजरा जिस प्रकार बयान किया गया है स्वीकार है मुताबिक सजरा हक वो हिस्सा है आराजी सामलात की अबट आराजी है। भूराराम की विरासत का इन्तकाल प्रतिवादी सं0 2 ल0 5 के पति/पिता महासिंह ने दर्ज कराया है तथा वक्त विरासत इन्तकाल वादीगण का पति/पिता रामसिंह बाहर रहता था तथा प्रतिवादी सं0 6 ल0 9 अपनी-अपनी ससुराल में रहती थी। मुताबिक सजरा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ल0 10 मृतक भूराराम के वारीसान है व मुताबिक सजरा के 1/8, 1/8 हिस्से के मृतक रामसिंह व मृतक महासिंह व मिन प्रतिवादी सं0 1 तथा प्रतिवादी सं0 6 ल0 10 वारीसान है। दावा का जिम्मन नं0 4 जिस प्रकार बयान किया गया है सही है स्वीकार है आराजी खसरा नम्बर 356 का भी काबिज खातेदार भूराराम था। उसकी मृत्यु के बाद उक्त ख0नं0 356 का विरासत इन्तकाल सं0 602 दिनांक 20.07.2009 मुताबिक सजरा वारीसान के नाम सही दर्ज व स्वीकार हुआ है। इन्तकाल सं0 654 दिनांक 23.12.2010 रामसिंह का विरासत इन्तकाल वादीगण के नाम सही चढ़ा है तथा दावा का जिम्मन नं0 5 जिस प्रकार बयान किया है सही है स्वीकार है गलत इन्द्राज 1/2 हिससे का प्रतिवादी सं0 2 ल0 5 के पति/पिता महासिंह ने अपने नाम स्वीकार कराया जो गलत अमल कराया तथा महासिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 2 ल0 5 के हक में विरासत इन्तकाल दर्ज व स्वीकार हुआ तथा उसके बाद प्रतिवादी सं0 2 ने अपनी बहनो व माता का हिस्सा अपने हक में रिलीज डीड करा लिया जो अपने नाम गलत अमल प्रतिवादी सं0 2 ने करा लिया तथा दावा का जिम्मन नं0 6 जिस प्रकार बयान किया है सही है स्वीकार है। वादीगण का पति/पिता रामसिंह पहले बसिलसिले रोजगार बाहर रहता था। दावा का जिम्मन नं0 7 जिस प्रकार बयान किया गया है गलत है स्वीकार नहीं। मिन प्रतिवादी सं0 1 वृद्ध आदमी हूं व सोचने समझने की शक्ति कम है तथा प्रतिवादी सं0 2 अनिल कुमार ने मिन प्रतिवादी सं0 1 की ओर से दिनांक 29.11.2012 को प्रतिवादी सं0 11 के हक में बैयनामा कराया है वह अनिल प्रतिवादी ने ही मुझे धोखा में रखकर कराया गया है उसने ही प्रतिफल राशी प्राप्त की है तथा इस बैयनामे की वादीगण को व प्रतिवादी सं0 6 ल0 10 को जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी सं0 2 ने गलत अमल के आधार पर अपने 1/2 हिस्से का बैयनामा प्रतिवादी सं0 12 के हक में गलत कराया है जबकि उसका विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा नहीं है ना ही मेरा 1/2 हिस्सा है। हमारा 1/8, 1/8 हिस्सा है। दावा का जिम्मन नं0 8 जिस प्रकार बयान किया गया है सही है स्वीकार है मृतक भूराराम के वारीसान प्रतिवादी सं0 1 ल0 10 व वादीगण है जिस बाबत ग्राम पंचायत गोपीपुरा का प्रमाणपत्र जारी किया गया है वह सही है अंकित करते हुए वादीगण के वाद को मय खर्चा खारीज किए जाने का निवेदन रहा। ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 6 ल0 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा का सारतः रहा कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर में स्थित है शेष जिम्मन गलत है एवं दावा का जिम्मन नं0 2 इतना तस्लीम है कि विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार भूराराम पुत्र बांकाराम उर्फ बांकलाराम था जिसका देहांत दिनांक 12.11.1995 में हो चुका है व सजरा सही दर्ज किया है सजरे के मुताबिक विवादित आराजी में 1/8 भाग के वादीगण व 1/8 भाग का प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ल0 5 भी 1/8 भाग के तथा हम प्रतिवादी सं0 6 ल0 9 व 10 भी 1/8, 1/8 के काबिज खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार मौके पर काबिज व दखिल है व आजतक विवादित आराजी का किसी प्रकार का तकासमा भी नहीं हुआ है। दावा का जिम्मन नं0 3 जिस प्रकार बयान किया है सही स्वीकार है। विवादित आराजीयात का खातेदार मृतक भूराराम काबिज था जो हम जवाबदारान का पिता था जिसके नाम जमाबंदी सम्वत् 2053 में खातेदारी का अमल हो रहा है। हम जवाबदारान के पिता भूराराम की मृत्यु 12.11.1995 को हो गई जिसके वारीसान

प्रतिवादी सं0 1 श्रीराम व सं0 2 का पिता महाराम व वादीगण का पिता रामसिंह इस प्रकार 3 लड़के व हम जवाबदारान 6 ल0 9 पुत्रियान है तथा प्रतिवादी सं0 10 हमारी माताजी है विवादित आराजी का भी मृतक भूराराम का विरासत का इन्तकाल इसी प्रकार दर्ज व स्वीकार होना चाहिए क्योंकि आराजी ख0नं0 356 का काबिज खातेदार भी जवाबदारान का पिता भूराराम था जिसकी मृत्यु उपरांत विरासत का इंतकाल सं0 502 दिनांक 20.07.2009 मुताबिक सजरा सही दर्ज हुआ है आदि–आदि अंकित करते हुए वाद वादी डिक्री किया जावे एवं विवादित आराजी के हम जवाबदारान प्रतिवादी सं0 6 ल0 9 को 1/8, 1/8 संभाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन रहा।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2053 प्रदर्श–1, नकल इंतकाल सं0 312 प्रदर्श–2, नकल इंतकाल सं0 602 प्रदर्श–3, नकल इंतकाल सं0 654 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2065–68 प्रदर्श–5, नकल बैयनामा दिनांक 29.11.2012 प्रदर्श–6, नकल बैयनामा दिनांक 30.11.2012 प्रदर्श–7, वारीस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गोपीपुरा दिनांक 17.11.2012 प्रदर्श–8 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र राकेश पीडब्ल्यू–1, श्रीचन्द पीडब्ल्यू–2, गुरदयाल पीडब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवं उपरोक्त गवाहन वादी की जिरह साक्ष्य हेतु वकील प्रतिवादी द्वारा मुताबिक दिनांक 16.12.2016 जिरह निल अंकित करते हुए सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये अर्थात् जिरह नहीं करना चाहते एवं सीधे बहस अंतिम का निवेदन रहा।

वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसके मुताबिक आराजी ख0नं0 353, 354, 355, 356 वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर का खातेदार काश्तकार भूराराम था जिस बावत नकल जमाबंदी सम्वत् 2053 प्रदर्श–1 पेश होकर शामिल पत्रावली है जिसका देहांत 12.11.1995 में हो गया व जिसका सजरा वादपत्र में अंकन है एवं मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी वारीसान का समान हिस्सा है तथा भूराराम की मृत्यु दिनांक 12.11.1995 को हो जाने की स्थिति में ख0नं0 353, 354, 355 का इंतकाल सं0 312 दिनांक 14.11.1996 को श्रीराम व महासिंह दोनों पुत्रों के नाम प्रतिवादी नं0 13 से मिलकर षडयंत्र पूर्वक गलत तरीके से अन्य जीवित वारीसों का नाम इंतकाल में दर्ज नहीं कराया जाकर केवल श्रीराम व महासिंह के नाम 1/2, 1/2 हिस्से का अपने नाम इंतकाल गलत दर्ज करा लिया। गलत इन्द्राज से अन्य वारीसान के विधिक अधिकार समाप्त नहीं होते। वादीगण के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है। इस प्रकार इंतकाल सं0 312 वादीगण के हिस्से के विरूद्ध बालित व बेअसर है जिसे हजफ किया जावे तथा सजरा के मुताबिक वादीगण को 1/7 हिस्से का काबिज खातेदार घोषित किया जावे एवं ख0नं0 356 वाके ग्राम रूंध का खातेदार काश्तकार भी भूराराम था। उक्त ख0नं0 356 का विरासत इंतकाल सं0 602 दिनांक 20.07.2009 को विधिक वारीसान के नाम सही दर्ज किया गया है। वादीगण के पिता व पति रामसिंह की मृत्यु दिनांक 21.11.2010 को हो जाने पर मृतक रामसिंह का विरासत इंतकाल सं0 654 दिनांक 23.12.2010 को वादीगण के नाम सही स्वीकार हुआ है इस प्रकार इंतकाल सं0 312 जो मृतक भूराराम की आ0ख0नं0 353, 354, 355 वाके ग्राम रूंध का प्रतिवादी नं0 1 श्रीराम व 2 ल0 5 के पिता/पति महासिंह ने अपने नाम गलत तरीके से जायज वारीसों को नजरअंदाज कर अपने नाम 1/2, 1/2 हिस्से का इंतकाल दर्ज करा लिया है व महासिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 3 ल0 5 ने प्रतिवादी सं0 2 अनिल के नाम रिलीज डीड करा दी इस प्रकार 1/2 हिस्से का अमल राजस्व रिकॉर्ड में तन्हा प्रतिवादी सं0 2 ने गलत इन्द्राज अपने नाम करा लिया व प्रतिवादी सं0 1 ने खिलाफ कानून, बिला कब्जा, सामलात आराजी को उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर खिलाफ कानून प्रतिवादी सं0 11 बलजीत को दिनांक 29.11.2012 को 1/2 भाग का बैयनामा पंजीबद्ध करा दिया व इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 2 अनिल ने भी उक्त विवादित आराजी का 1/2 भाग प्रतिवादी सं0 12 ज्ञानचन्द को बैयनामा दिनांक 30.11.2012 को पंजीबद्ध करा दिया जो वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध बातिल व बेअसर होकर नाकाबिल पाबंदी है तथा वादीगण के हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिया जाकर हजफ किये जाने योग्य है हजफ किया जाकर वादीगण को 1/7 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। वादपत्र के संबंध में प्रतिवादी सं0 6 ल0 9 ने एवं प्रतिवादी सं0 1 ने इकबाल जवाबदावा पेश किया है जिनके मुताबिक

...क कलक्टर
...र (अलवर)

वादीगण के दावे को सही होना स्वीकार किया है। वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2053 प्रदर्श–1 जिसके मुताबिक भूराराम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड रहा है नकल इंतकाल सं0 312 प्रदर्श–2 जो गलत दर्ज हुआ है और मात्र भूराराम के वारीस दो पुत्रों रीराम व महासिंह के नाम हुआ है जबकि एक पुत्र रामसिंह व चार पुत्रिया व भूराराम की पत्नि के नाम संभाग हिस्सा होना। नकल इंतकाल सं0 602 प्रदर्श–3 जो मृतक भूराराम के सभी 8 वारीसों के नाम सही दर्ज है नकल इंतकाल सं0 654 प्रदर्श–4 जो मृतक रामसिंह का विरासत इंतकाल वादीगण के नाम दर्ज है जो सही है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2065–68 प्रदर्श–5, नकल बैयनामा दिनांक 29.11.2012 प्रदर्श–6 एवं नकल बैयनामा दिनांक 30.11.2012 प्रदर्श–7 जो प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत प्रतिवादी सं0 11 एवं 12 के पक्ष में कराए गए बैयनामे है तथा वारीस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गोपीपुरा द्वारा दिनांक 17.11.2012 में जारी होकर सही जारी किया गया है जो प्रदर्श–8 वादी द्वारा पेश किये गए है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र राकेश पीडब्ल्यू–1, श्रीचन्द पीडब्ल्यू–2, गुरदयाल पीडब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवं उपरोक्त गवाहन वादी की जिरह साक्ष्य हेतु वकील प्रतिवादी द्वारा मुताबिक दिनांक 16.12.2016 जिरह निल अंकित करते हुए सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये अर्थात् जिरह नहीं करना चाहते एवं सीधे बहस अंतिम का निवेदन रहा। इस प्रकार से वकील प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया जाना वादीगण के वाद को भूमिगत रूप से साबित स्वीकार किया जाना जाहिर है इस प्रकार से वादीगण ने वादपत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिया है अंकित करते हुए न्यायायिक दृष्टांत **आर.आर. डी. 2004 डी.बी. पेज 737** श्रीमती सरस्वती आदि बनाम खेम चन्द आदि ने माननीय राजस्व मण्डल ने निर्धारित किया एवं **आर.आर.डी. 2004 डी.बी. 2014** राजस्व मण्डल पृष्ठ सं0 74 श्याम बनाम जगवन्ती आदि में राजस्व मण्डल की डबल बैंच ने यह अभिनिर्धारित किया कि संपूर्ण पैत्रृक कृषि भूमि के विक्रय पत्र का निष्पादन जो सभी शेयर धारकों द्वारा न किया जाकर एकल शेयर धारक द्वारा किया गया है यह हिन्दू उत्तराधिकार की अवहेलना में है धारा–6 के विरूद्ध है जिससे यह अकृत्य व शून्य होने से प्रभावहीन है– खातेदारी के अधिकारों के दावे में राजस्व न्यायालय सक्षम है। दावा पोषणीय है। पैरा 13 व 14 में नियम प्रतिपादित किया है कि वादीगण का जो हिस्सा बनता है, पंजीकृत विक्रय पत्र इनके हिस्से तक बेअसर रहेगा तथा निर्णय खातेदार घोषित करने में कोई विधिक त्रृटि कारित नहीं कि है का अंकन है अंकित करते हुए वादीगण द्वारा वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से साबित किया है निवेदन करते हुए वादीगण का वाद मय खर्चा डिक्री किये जाने का अंकन रहा है।

वकील वादीगण द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत वादीगण को वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 353/0.25, 354/0.39, 355/0.32, 356/0.24 है0 जिसके हाल खसरा नम्बरान 422/0.25, 427/0.39, 420/0.32, 421/0.24 है0 वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के 1/7 भाग का वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के उक्त हिस्सा 1/7 भाग की हद तक प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 11 के हक में दिनांक 29.11.2012 को कराए गए बैयनामे व प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादी सं0 12 के हक में दिनांक 30.11.2012 को कराए गए बैयनामे को शून्य करार घोषित किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अंकन को वादीगण के 1/7 भाग की हद तक हजफ किये जाने के आदेश जाते है एवं प्रतिवादीगण को जरिये हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उनके उक्त हिस्से जमीन से जबरन बेदखल ना करे ना ही उनके कब्जाकाश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा

अति. जिला कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राजस्थान

करे। पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(पंकज बडगूजर) 11-01-2023
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुण्डावर)
मुण्डावर अलवर, राज०

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०